पं.सुं.श. केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान

(राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद की इकाई, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत)

श्यामला हिल्स, भोपाल– 462002

वेबसाइट :www.psscive.ac.in

TENDER NOTICE/ निविदा सूचना

सूचित किया जाता है कि पं.सुं.श. केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल द्वारा केन्टीन संचालन हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई है, जिसकी अंतिम तिथि दिनांक 12.10.2023 को शाम 04:00 बजे तक है ।

अतः इच्छुक निविदाकर्ता द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण *GeM Portal/* निविदा संख्या GEM/2023/B/3913400 दिनांक 13.09.2023 तथा संस्थान की वेबसाइटः www.psscive.ac.in पर देखी जा सकती है।

अवरसचिव

पं.सुं.श. केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल

पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई, भोपाल की केन्टीन संचालन हेतु निविदा

❖ **कार्य प्रबंधन क्षेत्र (Scope of Work)** :

- पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन (PSSCIVE), शिक्षा मंत्रालय,सरकार के तहत एन.सी.आर.टी. की एक घटक इकाई है। यह भारत का व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में एक शीर्ष अनुसंधान और विकास संगठन है।
- अनुबंधित फर्म को चाय, कॉफी, लंच और स्नैक्स आदि की आपूर्ति संस्थान के लगभग 150 कर्मचारी (संविदा कर्मचारियों सहित) करने की आवश्यकता है। उपरोक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त बैठक, गोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशाला आदि में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए चाय, कॉफी, दोपहर का भोजन और नाश्ता आदि की आपूर्ति की व्यवस्था भी आवश्यकता पड़ने पर की जानी अपेक्षित है। अतिथि गृह में ठहरने वाले प्रतिभागियों के लिये समय –समय पर बेड टी, नाश्ता और रात के खाने की व्यवस्था भी की जानी अपेक्षित है।
- इसके अलावा संस्थान में समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है जिसमें चाय, कॉफी, स्नैक्स आदि की आपूर्ति की जानी अपेक्षित है।
- अनुबंधित फर्म/agency द्वारा अतिथि गृह में ठहरे अतिथियों को निम्न समय पर चाय/भोजन उपलब्ध कराना होगा। केंटीन का संचालन समय प्रातः 08 बजे से रात्रि 9 बजे तक का है।

प्रातः	6:00 बजे	:	Bed Tea
प्रातः	8:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे	:	सुबह का नाश्ता
दोपहर	1 से 2 बजे अपरान्ह	:	भोजन
रात्रि	8 से 9 बजे तक	:	रात्रि भोजन

- ठेकेदार को प्रातः तथा अपरान्ह संस्थान में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके कक्षों में चाय पहुॅचानी होगी ।
- केन्टीन में अनुमोदित वस्तुओं की सूची तथा दर बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा ।
- संस्था को प्रथमतः एक वर्ष के लिए अनुबंध किया जाएगा।
- संस्थान द्वारा फर्म की कार्य क्षमता, गुणवत्ता एवं संतोषजनक कार्य को देखते हुए अनुबंध की अवधि को आपसी सहमति से अधिकतम 3 वर्ष तक (एक बार में एक वर्ष) के लिए बढाया भी जा सकता है।
- संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में चाय नाश्ता,बफे ब्रेक फास्ट, लंच, डिनर आदि में भोजन परोसने हेतु हॉट केस, क्राकरी, कांच के गिलास,टी सेट, कटलरी, पेपर नेपकिन, आई.एस. आई. मार्क पैकड वाटर डिस्पोजल प्लेट, काटोरी,ग्लास चम्मच तथा आवश्यक संस्था में वर्दीधारी वेटरों की व्यवस्था फर्म द्वारा की जाएगी । जिसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नही दिया जाएगा ।

- अनुबंधित फर्म द्वारा निर्धारित समय पर खाद्य सामग्री ताजी एवं गर्म परोसी जायेगी ।

- समय – समय पर अनुबंधित फर्म को पैक्ड ब्रेकफास्ट / डिनर / लंच प्रदान करने हेतु अनुरोध किया जा सकता है जिसके लिये पैकिंग की व्यवस्था सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार किया जाना आवश्यक है तथा पैकिंग के लिए अतिरिक्त भुगतान नही दिया जावेगा ।

- कार्य आदेश की मात्रा को देखते हुए फर्म के अनुरोध पर संस्थान परिसर में खाद्य सामग्री बनाने हेतु संस्थान द्वारा स्थान उपलब्ध कराया जाएगा । भोजन बनाने के उपयोग में लिए जाने वाले बर्तन,ईधन आदि की व्यवस्था निविदाकर्ता को स्वयं करनी होगी । खाद्य सामग्री बनाने में व्यवसायिक गैस सिलेण्डर 0का उपयोग करना होगा । बिजली संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी (जिसका आपके द्वारा भुगतान किया जाना होगा)

- संस्थान द्वारा समय – समय पर आयोजित कार्यक्रमों के खाद्य / पेय सामग्री प्रदाय हेतु समक्ष / अधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित कार्यादेश प्रदाय किया जाएगा, जिसके आधार पर ही प्रदाय की गई सामग्री के देयकों का भुगतान देय होगा ।

❖ नियम व शर्ते (Terms and Condition) :

a) Licence Fee: परिशिष्ट 1 में दर्शाये गये विवरणानुसार केन्टीन संचालक को परिसर में मासिक दरों पर स्थान को उपलब्ध कराया जायेगा जिसकी लाइसेंस फीस Rs.1500.00 प्रतिमाह रहेगी।

b) Electricity : ठेकेदार को विद्युत उपयोग के संबंध में वास्तविक उपभोग के अनुसार व्यावसायिक दरों पर भुगतान संस्थान को मासिक आधार पर करना होगा।

c) पानी (Water) की दर – रू. 1500 /– प्रतिमाह होगी

1. फर्म द्वारा पं.सुं.श.केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान को प्रदाय किये जाने भोजन हेतु उच्च गुणवत्ता के अनाज, दालें ताजी सब्जियां, तेल, ब्रांडेड एगमार्क मसाले एवं मिलावट रहित डेरी प्रोडक्टस दही दूध,पनीर,मावा,आदि गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री का उपयोग किया जाएगा ।

2. उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे कप, प्लेट, गिलास, थाली तथा अन्य बर्तन साफ होना चाहिए।

3. प्लास्टिक के कप / गिलास के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4. संस्थान केन्टीन में मांसाहार, नशीली वस्तुओं, तम्बाखू उत्पाद, सिगरेट सहित किसी प्रकार की आपत्तिजनक, अवैध सामग्री का विक्रय / सेवन अनुमत नहीं है। ठेकेदार व उनके सभी कार्मिक इसकी अनिवार्यतः अनुपालना करेंगे। इसमें व्यतिवम पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से केन्टीन संचालन का अनुबंध रद्द कर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

5. निगरानी समिति को यह अधिकार होगा कि गुणवत्ता परीक्षण के लिए किसी खाद्य सामग्री को चखकर (जाकर) सुनिश्चित कर जिसके लिए उपयोग सामग्री का कोई मूल्य पृथक से देय नहीं रहेगा ।

6. सफल ठेकेदार की निविदा सुरक्षा राशि संस्थान में धरोहर राशि (Performance Security Guarantee) जमा कराने पर एवं अनुबंध के निष्पादित को जाने के पश्चात् लौटा दी जायेगी।

7. सफल ठेकेदार/ऐजेंसी/फर्म को धरोहर राशि (Performance Security) के रूप में रू. 30,000/—(Thirty Thousand only) इस संस्थान की लेखा शाखा में जमा करनी होगी। यह राशि संयुक्त निदेशक, पं.सुं.श. केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा, संस्थान भोपाल के नाम पर डी.डी. के रूप में जमा करानी होगी। सफलता पूर्ण कार्यकाल पूरा होने पर यह राशि वापस कर दी जायेगी। इस संबंध में अवधायक द्वारा No Dues प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। किसी भी तरह के नुकसान/तोड—फोड़ होने की दशा में उक्त राशि में से कटौती भी की जायेगी।

8. सफल निविदाकर्ता को संस्थान एवं नगर निगम, भोपाल द्वारा समय—समय पर जारी किये गये नियमों एवं शर्तो का पूर्णतः पालन करना होगा।

9. यदि निविदाकार निविदा के संबंध में कोई भी जानकारी चाहता है तो वह संस्थान के परिसर एवं कल्याण विभाग से प्राप्त कर सकता है।

10. संस्थान निविदा फर्म को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिये जिम्मेदार नही होगा।

11. केन्टीन के कर्मचारियों द्वारा असावधानी के कारण हुई तोड़—फोड़ या संस्थान की संपत्ति को नुकसान पहुॅचाने की दशा में अनुबंधित फर्म क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी रहेगी।

12. Agency/अनुबंधित फर्म द्वारा कर्मचारियों के बारे में जानकारी देते समय उनके फोटोग्राफ के साथ निम्न जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। 1. नाम 2. पिता का नाम 3. जन्मतिथि 4. वर्तमान पता 5. स्थायी पता 6. शैक्षणिक योग्यता 7. नमूना हस्ताक्षर। उपरोक्त जानकारी और फोटोग्राफ एजेंसी/अनुबंधित फर्म/निविदाकार के अधिकारीक व्यक्ति द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

13. केन्टीन के तथा उसके आस—पास की जगह को ठेकेदार द्वारा स्वच्छ रखना होगा तथा केन्टीन से निकले हुए कचरे को भी स्वच्छता एवं सुरक्षित रूप से नष्ट करवाना होगा।

14. केन्टीन में उपयोग आने वाली गैस की दरें ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन करना होगी तथा अनुबंधित कार्यकाल पूर्ण होने पर No Dues Certificate परिसर एवं कल्याण अनुभाग में जमा कराना होगा।

15. ठेकेदार द्वारा रखे गये कर्मचारी शासकीय अस्पताल द्वारा स्वस्थ्य पाये गये हो। इस संबंध में ठेकेदार द्वारा (Fitness Certificate should be submitted by the contractor/agency etc.) रखे गये कर्मचारियों का स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

16. किसी भी परिस्थिति में केन्टीन के समय की समाप्ति के बाद ठेकेदार का कोई भी कर्मचारी संस्थान/केन्टीन परिसर के अंदर नही रूकेगा। संस्थान के बंद होने की स्थिति में केन्टीन को भली—भॉति बंद किया जाना होगा। ठेकेदार को अनुबंध से अधिक जगह नहीं दी जायेगी। इस अनुबंध को ठेकेदार तथा उसके कर्मचारियों को मान्य करना होगा। ठेकेदार को आंवटित किये गया परिसर का संस्थान द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

17. **विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर संस्थान द्वारा नियम एवं शर्तो में परिवर्तन कर सकता है।**

18. ठेकेदार व उसके कार्मिक संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों, विद्यार्थियों व अतिथियों से आदरपूर्वक करेंगे। विशेषकर महिला वर्ग से शिष्टता व सुशील आचरण व व्यवहार में अपेक्षित आचरण का निर्वहन करेंगे।

19. सफल निविदाकार्ता को पं.सुं.श.केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा । अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर सुरक्षा निधि को जब्त किया जा सकता है ।

20. दोनों पक्षों में से यदि कोई भी पक्ष निविदा समाप्त करना चाहता है तो उसे न्यूतम 03 माह के पूर्व सूचना देना होगी ।

21. खाद्य सामग्री सन्तोषजनक न होने या निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में निविदाकर्ता का आदेश पं.सुं.श.केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा, संस्थान द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर राशि जब्त की जायेगी । इसमें जो भी आर्थिक हानि होगी उसकी वसूली स्वीकृत निविदाकर्ता से की जायेगी । ऐसी परिस्थिति में भुगतान से कटौती का अधिकार संयुक्त निदेशक, पं.सं.श.केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान के विवेकाधिकार पर सुरक्षित रहेगा।

22. खाद्य सामग्री बनाने एवं परोसने में नियोजित कारीगर एवं वेटरों की श्रम नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन वेतन देने तथा ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी.एक्ट कान्ट्रेक्ट लेबर एक्ट के प्रावधानों (इनमें से जो भी लागू) के अनुपालन में समस्त जिम्मेदारी अनुबंधित फर्म की होगी । खाद्य सामग्री बनाने एवं परोसने में बाल श्रमिकों को नियोजित नहीं किया जाएगा ।

23. यदि केटरिंग फर्म द्वारा पं.सुं.श.केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान को प्रदाय की गई खाद्य सामग्री को व्यक्तियों द्वारा जाने के पश्चात् फूड पाईजनिंग होती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्य अनुबंधित फर्म का होगा ।

24. कैंटीन / केटरिंग व्यवस्था के लिए केन्द्र/राज्य शासन एवं स्थानीय निकायों द्वारा समय – समय पर अधिरोपित कर एवं ड्यूटीज का भुगतान समय समय पर अनिवार्य रूप से करने का उत्तरदायित्य चयनित फर्म का होगा । फर्म के देयक से नियमानुसार टैक्स की कटौती संस्थान द्वारा की जाएगी ।

25. खाद्य सामग्री गुणवत्ता युक्त प्रदाय नहीं करने पर देयक में से 2 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की जा सकती है ।

26. निविदाकार्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बिल में देय टैक्स की दर पृथक से प्रस्तुत करें ।

27. जो निविदा मान्य नहीं होगी उनकी सुरक्षा निधि राशि नियमानुसार लौटा दी जावेगी ।

28. स्वीकृत /अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा ।

29. निविदा प्रकिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उपस्थित होने पर संयुक्त निदेशक, पं.सुं.श.केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

30. संयुक्त निदेशक पी.एस.एस.सी.आई.व्ही.ई. को उपर्युक्त निविदा को किसी भी स्तर पर बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है ।

31. निविदाकारों द्वारा दी गई वित्तीय दर समान होने पर संस्थान स्वविवेक से पैरामीटर/प्रक्रिया निर्धारित कर सफल निविदाकर्ता के निर्धारण हेतु निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगा । इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा /आपत्ति मान्य नहीं होगी ।

32. न्यायालयीन विवाद की स्थिति में क्षे़त्राधिकार भोपाल न्यायालय होगा ।

33. कैंटीन में अनाधिकृत लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा ।

34. निविदा स्वीकृत होने की दशा में राशि रूपये 100/— (एक सौ मात्र) के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित करना होगा ।

35. बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1996 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम कराना वर्जित है ।

36. यह निविदा अहस्तांतणीय है ।

37. निविदा खोलते समय यदि फर्म का प्रतिनिधि अनुपस्थित रहता हे तो बाद में किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी ।

38. निविदा की शर्तों का उल्लंघन अथवा केंटीन में कार्यरत कर्मियों की कार्य पर से अनुपस्थिति अथवा कार्यालयीन समय पर अभद्र व्यवहार कार्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता अथवा नशे की हालत में पाए जाने पर संस्थान द्वारा कैंटीन संचालन बंद/अनुबंध रद्द करवाने का अधिकार संस्थान को रहेगा ।

39. भुगतान हेतु देयक आगामी माह के प्रथम सप्ताह में सभी आवश्यक पूर्तियों के साथ संस्थान में जमा करें। छः माह से अधिक अवधि के देयक भुगतान करने हेतु संस्थान बाध्य नहीं होगा ।

40. Annexure - III फिक्स मिनू में दशाई गयी मात्रा न्यूनतम है व प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त करने हेतु दी गई है। **धरोहर राशि वार्षिक अनुमानित राशि रू. सात लाख मानकर जमा करनी होगी ।**

❖ **पात्रता मानदंड (Eligibility Conditions)** :

1. निविदाकर्ता के पास FSSAI (Food Safety and Standards Authority Of India) का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना चाहिए।

2. भारत सरकार/राज्य सरकारों के संबंधित विभागों के साथ जी.एस.टी. पंजीकृत होना चाहिए।

3. स्थानीय/नगर निकाय के साथ पंजीकृत होना चाहिए या संबंधित स्थानीय सरकार द्वारा जारी इस कार्य हेतु एक वैध लाइसेंस / पंजीकरण होना चाहिए।

4. होटल, हॉस्टल मेस/गेस्ट हाउस/कैन्टीन या किसी भी सरकार को चलाने का कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए।निम्नलिखित दस्तावेजों द्वारा समर्थित किया जाए ।

    1. प्रारंभिक पंजीकरण की तिथि दर्शाते हुए दुकान और प्रतिष्ठान प्रमाण पत्र।
    2. फर्म के तीन साल के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए आयकर/सेवा कर निर्धारण /जी.एस.टी आदेश

5. भारत सरकार के किसी भी विभाग या किसी राज्य /या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम /सरकार के स्वायत्त संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए। किसी भी सरकारी संगठन द्वारा बोलीदाता फर्म को ब्लैकलिस्ट में न डालने के संबंध मे एक वचनबंध बोलीदाता द्वारा Annexure-V में दिए गए प्रारूप में निविदा दस्तावेज में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

6. भारत सरकार/राज्य सरकारों के संबंधित विभागों के साथ जी.एस.टी. पंजीकृत होना चाहिए।

7. आयकर कार्यालय द्वारा जारी पैन नंबर होना चाहिए । (प्रोप्राइटरशिप फर्म के मामले में प्रोप्रइटर का पैन कार्ड काम करेगा। तीन वर्षों अर्थात वितीय वर्ष 2019–20, 2020–21, और 2021–22 के लिये लेखा परीक्षित बैलेंस शीट और आई.टी.आर. की प्रति संलग्न करें।सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले 3 वर्षों के लिए रू.5,00,000/– के वार्षिक औसत कारोबार को दर्शाने वाला सहायक दस्तावेज ।

8. Annexure- IV के अनुसार एक अण्डरटेकिंग देनी होगी कि बोली लगाने वाले के पास न्यूनतम बुनियादी ढांचा, जैसे एलपीजी/सिलेंडर स्टोव,रसोई उपकरण, बर्तन, जनशक्ति आदि उपलब्ध है।

9. संस्थानों/संगठनो की सूची (पूरे डाक पते के साथ) जहां पूर्व में निविदाकर्ता द्वारा खानपान सेवा प्रदान की गई और उन संस्थानों/संगठनो की सूची जहां वर्तमान में खानपान सेवाएं प्रदान कर रहें है, (संबंधित संस्थानों/संगठनों में संबंधित अधिकारियों के नाम, पदनाम और टेलीफोन नंबर भी दिए जाएं)

10. अनुबंधित फर्म के नाम श्रम विभाग द्वारा जारी उनके कर्मचारियों के लिए श्रम लाइलेंस की वैध प्रणाम पत्र की प्रति ।

11. अनुबंधित फर्म भोपाल (म.प्र.) में स्थित होना चाहिए।

- Evaluation:

1. PSSCIVE यह निर्धारित करने के लिए निविदाओं का मूल्यांकन करेगा कि क्या वे पूर्ण है, क्या कोई कम्प्यूटेशनल त्रुटियां की गई हैं, क्या दस्तावेजों पर ठीक से हस्ताक्षर किए गए है और क्या निविदाएं आम तौर पर क्रम में है ।
2. यदि शब्दों और अंको के बीच कोई विसंगति आती है तो शब्दों में दी गई राशि मान्य होगी। विस्तृत मूल्यांकन से पहले, PSSCIVE प्रत्येक बोली की पर्याप्त जवाबदेही निर्धारित करेगा। पर्याप्त रूप से प्रतिक्रियात्मक बोली वह होती है, जो बिना किसी भौतिक विचलन के बोली दस्तावेज के सभी नियमों और शर्तो के अनुरूप होती है।पर्याप्त रूप से गैर–उतरदायी निर्धारित की गई बोली को PSSCIVE द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।
3. मूल्यांकन विभिन्न बोलीदाताओं द्वारा दिए गए वितीय प्रस्ताव के आधार पर Quote की गई सभी दरों और प्रस्ताव की अन्य मेरिट के आधार पर किया जाएगा।
4. हालांकि मूल्यांकन वित्तीय बोली में **Quote समग्र न्यूनतम कुल राशि पर आधारित होगा** । सबसे कम प्रस्ताव/बोली लगाने वाले का निर्णय बोलीदाताओं द्वारा Quote किए गए कुल न्यूनतम दरों के आधार पर किया जाएगा । तथापि इस प्रकार चयनित एल–1 बोलीदाता को खाद्य की गुणवत्ता और मात्रा से समझौता किए बिना वित्तीय बोली में Quoted अन्य व्यक्तिगत मदों की एल–1 दरों का मिलान करना होगा । हालांकि PSSCIVE सबसे कम प्रस्ताव का स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उच्च बोली लगाने वाले को जो संस्थान की आवश्यकता को पूरा करता है को काम देने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

Annexure – I

Details of space provider for the canteen of PSS Central Institute of Vocational Education, Bhopal

S.No.	Accommodation including	Area in Sq. ft	Total Area Insq. Ft.	Minimum Rent/License fee of the Council which will be revised from time to time
01	Dining Hall	1062 sq.ft	1687 Sq.Ft	Rs. 1500/- Per month
02	Store Room 1	121 sq.ft.		
03	Living Room	224 sq.ft.		
04	Kitchen	280 sq. ft.		

Annexure –II

(द्वितीय लिफाफे में रखना है)

कैंटीन एवं खान-पान व्यवस्था (केटरिंग) हेतु निविदा वर्ष 2023 (Financial Bid)

खाद्य सामग्री का विवरण एवं दर सूची ।

S.No.	Items	Rate in Rs. with GST
1.	Hot Coffee (One Cup (125 Ml.)	
2.	Hot Tea (One cup (125Ml.) Hot Tea without Sugar	
3.	Vegetable Sandwitch	
4.	Kachauri/Samosa/ Bread Pakora/ Bhaji Vada/Alloo Bonda (01 Pcs. With Chatney)	
5.	Bread Pakora	
6.	Bhajiya / Mangoda (per 50 Grm.)	
7.	One piece Sambar Vada (Vada weighing 70 gms)	
8.	Two pieces Sambar Vada (Each vada weighing 70 gms)	
9.	One piece Idli Sambhar (idli weighing 70 gms)	
10.	Two piece Idli Sambhar (Each Idli weighing 70 gms)	
11.	One piece Masala Dosa with Sambhar & Chutney (standard size)	
12.	One Egg boiled	
13.	One Egg omelette with two slice	
14.	Two eggs omelette with two slice	
RATES FOR PSSCIVE OFFICIAL MEETINGS/PROGRAMMES WILL BE AS PER NCERT NORMS		
1.	Tea with biscuits (Served in bone china cup & saucer)	
2.	Tea with snacks (Samosa/Bread Pakora/Bonda/ Cutlets) served in bone chine cup & saucer	
3.	High Tea (Standard items): (i) Green /Lemon/ Milk Tea / Coffee with biscuits/ wafers (ii)Kaju and Badam (25 Grm each) (iii) Sweets and namkeen (v) Coffee expresso with sweets, Kaju, namkeen, wafers	
RATES FOR PSSCIVE OFFICIAL MEETINGS/PROGRAMMES WILL BE AS PER NCERT NORMS		
	Break fast on rotation basis	

	1. Bed Tea at Hostel & Guest House. 2. Tea / Coffee / Milk / Black Tea / Green Tea. 3. Bread with butter and Jam 4. Aaloo Parathha with curd / Puri Sabjee / Paratha with aaloo sabji 6. Daliya with milk / Daliya Namkeen / Musli with Milk / Oats with milk / Cornflex with milk / Uppma with Chatni / Idli sambar / Vada Sambar / Ragi Idli / Sabudane ki khichdi / Bajre ki khichdi / Boiled Eggs. **F/ example :** **Daily fix :- Tea/Coffee/Milk/Bread with Butter & Jam, Boiled Egg(2)/ Cornflex with milk/ Oats/ Daliya with milk.**	
	Working Lunch (PAC Prog.)	
	1. Roti Chapati and Puri / Parathha / Millets based Roti (Ragi / Jawar / Bajra) **any one.** 2. Rice – (Jeera / Pulav / Plain rice) **any one.** 3. Seasonal Veg. 4. Paneer veg. (Palak Paneer / Butter Paneer masala) / Shashi paneer / Paneer bhurji / Malai kofta/Tofu recipe. ***soy tofu should not be used as paneer.** 5. Dal (Dal fry / Dal Tadka / Mix Dal / Pulses Moong Dal / Rajma / Chole) **any one.** 6. Papad (Rosted) 7. Green Salad (Onion + Gajar+Muli+Kheera+Chukander) 8. Any one sweets (Kheer / Halwa / Gulab jamoon / Rasgoolla, Moong halwa, Suji halwa, Halwa of Rajgeere flour, Millet Laddu, Ragi ke laddo) of any reputed brand such as Haldiram, Manohar dairy, Brijwasi, Amul 9. Plain curd (Branded Such as Sachi /Amul) or Boondi Raita/Fruit Raita/Plain Raita. **Normal Lunch/Dinner:** 1. Roti/ Millet base Roti. 2. Rice (Basmati/Plain / Khichdi/ Multigrain dalia) 3. Dal (To/ dal/Mung dal/Mix dal 4. Seasonal sabji/Gobi Aloo/ Bhindi/Mix veg./Shimla mirch/ 5. Salad (Onion)/Achaar /Papad	

1. **Note: Every day one millet food served to be used during/ lunch/Break fast any one item from (Bajra, jawar, maize.etc.)**

2. **Note: Dishes cooked for lunch shall not be served in the dinner**

Annexure –III

Total Menu Cost for the Contract Period

S.No.	Menu Item Name	Approximate Quantity per day (A)	Unit Rate (Rupees), including all taxes, duties and services (B)	No. of days of working in a month (C)	No. of months of contract Period (D)	Total Menu Cost for the Contract Duration E=A*B*C*D
1	Hot Coffee	1	10	26	12	3120.00
2	Hot Tea	1	7	26	12	2184.00
3	Bread & Butter	1	12	26	12	3744.00
4	Vegetable Sandwitch	1	15	26	12	4680.00
5	Puri/Chapatti Plate	1	20	26	12	6240.00
6	Kachauri	1	8	26	12	2496.00
7	Samosa	1	8	26	12	2496.00
8	Chholley / Paratha	1	15	26	12	4680.00
9	Milk	1	10	26	12	3120.00
10	Aloo Pettis	1	15	26	12	4680.00
11	Creamol	1	10	26	12	3120.00
12	Pastry	1	20	26	12	6240.00
13	Vegetable Pakora Plate	1	10	26	12	3120.00
14	Urd Vada	1	10	26	12	3120.00
15	Bread Pakora	1	10	26	12	3120.00
16	Bhaji Vada	1	7	26	12	2184.00
17	Alloo Bonda	1	7	26	12	2184.00
18	Idli Sambhar with chutney	1	15	26	12	4680.00
19	Masala Dosa with Sambhar & chutne	1	25	26	12	7800.00
20	Sada dosa with sambhar & chutney	1	20	26	12	6240.00
21	Uttapam	1	25	26	12	7800.00
22	Upma	1	15	26	12	4680.00
23	Vada Sambhar with chutney	1	20	26	12	6240.00
24	Paratha with vegetables	1	20	26	12	6240.0
25	Full Lunch (Thali System)	1	140	26	12	43680.00
					Total	**147888.00**

Annexure –IV

UNDERTAKING FOR PHYSICAL AND HUMAN RESOURCES

I/We undertake that our firm having minimum infrastructure like LPG/Cylinders utensils, trained manpower and kitchen equipment i.e., cutlery, crockery, mixer, grinder, deep freezer, refrigerator, tea kettles, microwave ovens, food warmers, cash/billing machine, cleaning material and tools, raw material storage units/cupboards and any other item/equipment that they may deem necessary for proper and efficient functioning of canteen/guest house.

Authorized signatory with official Seal/Rubber Stamp

Dated :

Place :

Annexure-V

An undertaking of enclosed Annexure of the tender/bid document on non-judicial stamp paper Rs.100/- attested by notary

UNDERTAKING

I/We have read and understood the Contents of tender and agree to abide by the terms and conditions of this tender and undertake the following.

1. I/We also confirm that in the event of my /our tender being accepted. I/We hereby undertake to finish Performance Security, As mentioned in the bid document.

2. I/We further undertake that none of the Proprietor/Partners /Directors of the firm was or is proprietor or partner or Director of any firm with whom the government have banned/suspended business dealing. I/we further undertake to report to the NCRT, New Delhi immediately after we are informed but, in any case, not later than 15 days, if any firm in which proprietor/ partners/Directors are proprietor or partner or director of such a firm which is banned/suspended in future during the currency of the contract with you.

3. I/We agree that all disputes, it arising related to this tender, shall be within the jurisdiction of courts of Delhi.

4. I/We undertake that the firm/Company etc. has never been blacklisted by any of the Central/State Govt. organization and no criminal case is pending against the firm/Company.

5. That the information supplied by the firm/company/bidder in the bid are true and nothing has been concealed and in case of any stage any information is found false our EMD/performance security can be forfeited and out tender can also be rejected by the Council.

6. An Inspection Team to be nominated by the PSSCIVE Authorities may make surprise inspection to ensure proper Quality and hygiene of the Food as laid down in the standard at any time.

7. In the event of any short-fall in respect of any of the item to be served to any of the guest/ participants or deficiency of Service will make me liable for termination of the contract or /and the PSSCIVE Authorities Can make suitable recovery from the Performance Security Deposit for any breach of Contract.

Date:

Signature of the tenderer/bidder
Name: designation with seal of the firm/company